न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03/2018

सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

बनाम

वादी

1. कुर्शीद पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

2. नबाब
3. सहाबू } पिसरान रूस्तम नवीरागान मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

असल प्रतिवादी

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादी

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी
श्री नसरूखां वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :– 06/05/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 272 में से मात्र 0.03 एयर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। पूर्व में आराजी हमारे बुजुर्गान की है जिस पर पूरा परिवार सामलात में काश्त करता था एवं इसी नम्बर के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर सडक के सहारे हमने अपने पूर्वजो व मृत्तक परिवारीजनों हेतु पारिवारिक कब्रिस्तान बना रखा है जिसमे करीबन 8–10 कब्रे हमारे पूर्वजो की बनी हुई मौजूद हैं । अब हमारे परिवारिक मन बट व कानूनी बंटवारे में भी उक्त नम्बर सालिम 0.22 एयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से व कब्जे काश्त में व खातेदारी में आ गया है जिसकी एवज में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण ने 1–1 एयर रकबा कुर्शीद को दे रखा है और अब कुर्शीद 0.03 एयर को कब्रिस्तान व सामलाती मानने को सहमत था एवं उक्त नम्बर से रास्ता 12 फुट सडक तक देने का राजीनामा पूर्व में कर चुका है। राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी असल के नाम होने की वजह से अब उसके दिल में बदयान्ती आ गई है और वह सालिम नम्बर 0.22 एयर को मय रकबा कब्रिस्तान को बेचना चाहता है । इस प्रकार वादी 0.03 एयर को पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्रिस्तान को बेचना चाहता है। इस प्रकार वादी 0.03 एयर को पारिवारिक कब्रिस्तान घोषित करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या 1 से वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना किया तो उसने दिनांक 29/12/2017 को ऐलानिया धमकी दी है कि वह आराजी मुत0 सालिम को बेचकर रहेगा क्योंकि आराजी उसकी खातेदारी में है अगर प्रतिवादी अपने इस इरादे में कामयाब हो गया तो वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरें नकद से नहीं की जावेगी एवं हमारी धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचेगी। विधि वजह वादी प्रतिवादी को पाबन्द करा पाने का हक दार है कि वे आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे । विनाय मुखास्मत धमकी देने पर दिनांक 29/12/2017 को पैदा हुई। आराजी खसरा नम्बर 272/0.22 बांके ग्राम चिनावडा पूर्व में संयुक्त परिवार रकबा था जिसमें सामलाती समय से ही सामलाती कब्रिस्तान पश्चिम दक्षिणी कोने में सडक के सहारे 0.03 एयर में बने हुये है बंटवारे से काफी समय पूर्व से ही बने हुये है। जिसे जानते हुये भी प्रतिवादी ने अपने हिस्से में लिया जिससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादी को संतुष्ट कर दिया गया है। आराजी के दक्षिणी पश्चिमी कोने में सडक के सहारे 0.03 एयर पर चले आ रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराया जाकर पारिवारिक कब्रिस्तान का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पर्याप्त समय जबाब दावा पेश करने हेतु प्रदान किये गये परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जबाब दावा पेश नहीं किया । इस कारण दिनांक 03/09/2019 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जबाब बन्द किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी, प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को हमारे पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया और मनबट में आई आराजी पर मुताबिक बटबारा वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करने लग गये वादी एवं प्रतिवादी के पिता बंटवारे के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रहते थे प्रतिवादी की माता का जब देहान्त हुआ तो प्रतिवादी के पिता ने हमारी मां का अन्तिम संस्कार करने की इच्छा मेरे हिस्से में आये खसरा नम्बर 272 में करने की जाहिर की और मेरी सहमति से मेरे इस खेत में मेरी मां का अन्तिम संस्कार कर दिया गया तथा मेरे पिता ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरा अन्तिम संस्कार भी अपनी मां की कब्र के पास ही करना जब सन् 2004 में हमारे पिता का देहान्त हुआ तो उनका अन्तिम संस्कार भी मैंने अपनी मां की कब्र के पास ही कर दिया । यह खसरा नम्बर मेरी निजी खातेदारी की भूमि है जिससे वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का किसी किस्म का लेनादेना नहीं है। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। बंटवारे में प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर 372 को सम्मलित करते हुये प्रतिवादी को कुल 1.94 हैक्टर एवं वादी सुब्बा को 1.95 हैक्टर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण जो प्रतिवादी के बडे भाई रूस्तम की संतान है को 1.94 हैक्टर रकबा मिला और न्यायालय के आदेशानुसार इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया गया वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का वादी के हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 272/0.22 हैक्टर कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसके हिस्से में 0.01 एयर ज्यादा जमीन है और फिर भी वह गलत तरीके से गलत तथ्यों को अंकित कर दावा पेश कर प्रतिवादी की खातेदारी की जमीन को हडपने की फिराक में है इसलिए दावा वादी काबिले खारिजी है। प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में माता, पिता के कब्रे अपने पिता की इच्छानुसार ही बनाई थी प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि से कब्रिस्तान व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबन्ध नहीं है। अतः जबाबा दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुत0 पीछे से बुजुर्गान की है। जिस पर पूर्व में सभी की सामलात काश्त होती थी और सामलात में ही पूर्व से आराजी के 0.03 एयर रकबा पर परिवार के कब्रिस्तान के लिये छोड दिया था।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुत0 0.03 एयर पर मौके पर 8–10 कब्रे मौजूद है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया वक्त बंटवारा पारिवारिक हिस्सेदार कुर्सीद 0.03 एयर रकबा वास्ते कब्रिस्तान छोडने को तैयार था।

.....वादी

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा 0.03 एयर रकबे की एवज में रकबा नहीं दिया गया है। इसलिए वादी उक्त रकबे को पारिवारिक कब्रिस्तान में परिवर्तित नहीं करा सकता।

.....प्रतिवादी

तनकी संख्या 5 :– आया वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का मुस्तहक है।

.....वादी

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी का बंटवारा पूर्व में दिनांक 28/06/2006 को न्यायालय द्वारा किया जाकर दावा डिक्री किया गया है और बंटवारे में आराजी प्रतिवादी के हिस्से में आई है।

.....प्रतिवादी

7:– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुब्बा, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 23/03/2021 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 खुर्शीद ,डी0डब्लू 2 इलियास, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–63 नकल राजीनामा दिनांक 13/05/2016 पेश किये । प्रतिवादी ने अपने जबाब दावा के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल अर्जी दावा मुकदमा न0153/2003, नकल कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी, नकल डिक्री , नकल फैसला 28/06/2006, नकल प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 जा0दी0, नकल वकालत नामा सुब्बा नकल मौका पर्चा हल्का पटवारी पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील फरीकेन सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि वादी, प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को हमारे पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया था। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। बंटवारे में प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर 372 को सम्मलित करते हुये प्रतिवादी को कुल 1.94 हैक्टर एवं वादी सुब्बा को 1.95 हैक्टर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण जो प्रतिवादी के बडे भाई रूस्तम की संतान है को 1.94 हैक्टर रकबा मिला और न्यायालय के आदेशानुसार इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया था। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। अगर फिर भी कोई आपत्ति थी। तो वादी को दिनांक 28/06/2006 की डिक्री के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। वादी का दावा सी0पी0सी0 की धारा 11 से बाधित है। अतः खारिज योग्य है।

वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुत0 पीछे से बुजुर्गान की है। जिस पर पूर्व में सभी की सामलात काश्त होती थी और सामलात में ही पूर्व से आराजी के 0.03 एयर रकबा पर परिवार के कब्रिस्तान के लिये छोड दिया था।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। डिक्री आदेश में सामलाती आराजी के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं है। न ही वादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सामलात में ही पूर्व से आराजी के 0.03 एयर रकबा पर परिवार के कब्रिस्तान के लिये छोड दिया था। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुत0 0.03 एयर पर मौके पर 8–10 कब्रे मौजूद है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक जबाब एवं साक्ष्य यह प्रमाणित है कि आराजी मुत0 0.03 एयर पर मौके पर कब्रे मौजूद है। परन्तु मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। उक्त आराजी से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का किसी किस्म का लेनादेना नहीं है। अतः यह तनकी भी आंशिक रूप से विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वक्त बंटवारा पारिवारिक हिस्सेदार कुर्सीद 0.03 एयर रकबा वास्ते कब्रिस्तान छोडने को तैयार था।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। डिक्री आदेश में सामलाती आराजी के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं है। न ही वादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सामलात में ही पूर्व से आराजी के 0.03 एयर रकबा पर परिवार के कब्रिस्तान के लिये छोड दिया था। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा 0.03 एयर रकबे की एवज में रकबा नहीं दिया गया है। इसलिए वादी उक्त रकबे को पारिवारिक कब्रिस्तान में परिवर्तित नहीं करा सकता।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। मुताबिक डिक्री आदेश 28.06.2006 प्रतिवादीगण को अतिरिक्त रकबा नहीं दिया गया है। इसलिए वादी उक्त रकबे को पारिवारिक कब्रिस्तान में परिवर्तित नहीं करा सकता है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का मुस्तहक है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1,2,3,4 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का मुस्तहक नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी का बंटवारा पूर्व में दिनांक 28/06/2006 को न्यायालय द्वारा किया जाकर दावा डिक्री किया गया है और बंटवारे में आराजी प्रतिवादी के हिस्से में आई है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 272/0.22 प्रतिवादीगण की आराजी है। मुताबिक डिक्री आदेश 28.06.2006 यह प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी इसे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

नतीजा :– तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)